पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, न-1, वायु सेना, गोरखपुर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.1, AFS GORAKHPUR
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
An Autonomous body Under Ministry of Education, Govt. of India
पोस्ट-कुसुम्ही एयर पोर्ट, गोरखपुर (उ.प्र.)-273002
Post Kusumi Air Port, Gorakhpur, (U.P.) PIN: 273002
E-mail: kvafsgorakhpur@gmail.com
Contact No-0551-2980333, 2980444

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

PM SHRI

School No.74074 KV CODE:1824 AFFILIATION NO.2100010

एफ.430331/2026-27/के.वि.ए.एफ.एस.गो./ दिनांक:-05-08-2026

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
क्रमांक- 3 एच.यू.आर.एल. गोरखपुर / क्रमांक 2 उनौला दोयम

विषय : केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश निदेशिका 2026-27 के अंतर्गत स्थानीय स्थानांतरण (Local Transfer) के आधार पर नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

संदर्भ : उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्रांक 430331/केवि.सं./शैक्षिक/वाराणसी/ दिनांक 04.08.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली द्वारा जारी प्रवेश निदेशिका 2026-27 के भाग-अ, पैरा-7(ब) के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय स्थानांतरण (Local Transfer) के पात्र मामलों पर विचार किया जाना है।

अतः गोरखपुर स्टेशन के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राओं के अभिभावक, जो प्रवेश निदेशिका 2026-27 में वर्णित स्थानीय स्थानांतरण की शर्तों को पूर्ण करते हों, वे निर्धारित आवेदन-पत्र एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित अपना आवेदन इस विद्यालय में अधोलिखित समयसारणी के अनुसार कार्यालय समय में जमा करना सुनिश्चित करें।

सभी प्राप्त आवेदनों की प्रवेश निदेशिका के प्रावधानों के अनुसार जांच करने के उपरांत उन्हें गोरखपुर स्टेशन के नोडल अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को अनुमोदनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय स्थानांतरण का प्रत्येक प्रकरण पूर्णतः प्रवेश निदेशिका 2026-27 के प्रावधानों एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

लोकल ट्रांसफर 2026-27 से संबंधित सूचना से अभिभावकों को अवगत कराने तिथि	मूल विद्यालय जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है के अभिभावक द्वारा भरे हुए स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि	संबंधित विद्यालय द्वारा नोडल विद्यालय को स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म (समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात) जमा करने की अंतिम तिथि	संबंधित स्टेशन के केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा प्राप्त स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म का नोडल स्तर पर जाँ की तिथि	नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित स्टेशन से प्राप्त किए गए समस्त स्थानीय स्थानांतरण नामांकन फॉर्म की जाँच को पूर्ण कर क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को प्रेषित करने की अंतिम तिथि
06.08.2026	17.08.2026	19.08.2025	20.08.2026	25.08.2026

Scanned with OKEN Scanner

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, न-1, वायु सेना, गोरखपुर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.1, AFS GORAKHPUR
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
An Autonomous body Under Ministry of Education, Govt. of India
पोस्ट-कुसुम्ही एयर पोर्ट, गोरखपुर (उ.प्र.)-273002
Post Kusumi Air Port, Gorakhpur, (U.P.) PIN: 273002
E-mail: kvafsgorakhpur@gmail.com
Contact No-0551-2980333, 2980444

आज़ादी का अमृत महोत्सव
PM SHRI

School No.74074 | KV CODE:1824 | AFFILIATION NO.2100010

नोट:-

1. अभिभावक स्थानीय स्थानांतरण नामांकन प्रपत्र मूल विद्यालय जहाँ उनका पाल्य अध्ययनरत है से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
2. संबंधित प्राचार्यगण से यह अपेक्षा की जाती है कि स्थानीय स्थानांतरण के आधार पर नामांकन सं संबंधित सूचना का प्रसारण बेवसाइट, सूचनापट्ट एवं प्रार्थनासभा के माध्यम से करते रहें ताकि अभिभावक जागरूक हो सकें।

भवदीय

5/8/2021

(बैरिस्टर पाण्डेय)
प्राचार्य

प्राचार्य / Principal
पी एम श्री के. वि. नं. १ वायु सेना
PM SHRI KV No- 1 AFS
गोरखपुर (यू.पी.) / Gorakhpur (U.P.) Pin-273002

संलग्नक :

1. स्थानीय स्थानांतरण आवेदन-पत्र।
2. आवश्यक अभिलेखों की सूची।
3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली की प्रवेश मार्गदर्शिका 2026 भाग, अ पैरा 7, ब का संदर्भ नियमों की सूची।
4. सूचना प्रेषित करने हेतु निर्धारित एक्सल प्रारूप।

Scanned with OKEN Scanner

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, VARANASI REGION

Application for Local transfer for the year 2026-27

(To be submitted in Triplicate in the KV where the student is presently studying)

1. Transfer sought from KV-------------------------- to KV ------------------------------------

2. Name of Student (Capital Letter) ....
3. Sex ....
4. Father's name ....
5. Mother's name ....
6. Class in which the child is studying ....
7. Date of admission in KV ....
8. Fresh admission or admission on KV TC ....
9. Reason for seeking transfer ....

10. If siblings are studying in different KV, give their complete details (Attach any relevant documents)

SN	Name of Student	Class & Sec	Name of that KV	Date of first Admission in present KV
1				
2				

11. (a) Residential address at the time of admission * .... **(Attach Proof)**
(b) Present residential address * .... **(Attach Proof)**
(Residential proof of (a & b) both are to be attached)

12. Signature of the parent / guardian Date:

(To be filled up by the KV where the student is studying)

(After filling three copies, two copies are to be sent the KV where local transfer is sought)

1. From which year the child is studying in your KV :
2. Whether the child admitted on transfer or fresh admission :
3. Attendance in current session :
4. Category of the parent (must be filled up) :

Name of the Student	Class	No. of Sections	Average strength of the class	Recommendation of the Principal

Signature of Principal With seal

To be filled up by the KV where the local transfer sought)
(After filling up two copies, one copy is to be sent to RO)

Class	No. of Sections	Average strength	Average Strength	Recommendation of the Principal

Signature of the Principal with seal

Approved/Not approved. (to be filled up by RO)

Scanned with OKEN Scanner

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, न-1, वायु सेना, गोरखपुर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.1, AFS GORAKHPUR
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
An Autonomous body Under Ministry of Education, Govt. of India
पोस्ट-कुसुम्ही एयर पोर्ट, गोरखपुर (उ.प्र.)-273002
Post Kusumi Air Port, Gorakhpur, (U.P.) PIN: 273002
E-mail: kvafsgorakhpur@gmail.com
Contact No-0551-2980333, 2980444

School No.74074 KV CODE:1824 AFFILIATION NO.2100010

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली की प्रवेश मार्गदर्शिका 2026 भाग, अ पैरा 7, ब का संदर्भ नियमः-

स्थानीय के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) संबंधी प्रवेश एवं पाली में परिवर्तन के नियम स्थानीय स्थानांतरण के निम्नलिखित मामलों को संबंधित के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्थानांतरण पर विचार करते समय मामले की योग्यता के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है:

(i) पिछले वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी आवास के आवंटन या अभिभावक के स्वयं के घर में शिफ्ट होने के मामले में (सिविल/रक्षा क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी *I* से *IV* और परियोजना/उच्चतर शिक्षा संस्था क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी *I* से *V* पर लागू)।

(ii) परिस्थितियाँ, जहाँ विद्यार्थी/अभिभावक की चिकित्सीय तात्कालिकता/ गंभीर बीमारी के आधार पर अभिभावक द्वारा स्थानीय स्थानांतरण की माँग की जाती है।

(iii) जहाँ विद्यार्थी का भाई-बहन (सहोदर) उस केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ प्रवेश माँगा गया है। ऐसे मामले में, संबंधित संभाग के उपायुक्त उन केन्द्रीय विद्यालय में से किसी एक केन्द्रीय विद्यालय में, जिसकी सबंधित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम हो, स्थानीय स्थानांतरण को मंजूरी देंगे।

(iv) पाली (शिफ्ट) में परिवर्तन की अनुमति संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा केवल भाई-बहन (सहोदर) के मामले में ही दी जाएगी, जब बच्चे का भाई या बहन दूसरी पाली में पढ़ रहा हो। इस संबंध में किसी अन्य आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: उपर्युक्त बिंदु (*i*) और *(ii)* के मामले में, आबंटित सरकारी आवास / अभिभावक के स्वयं के घर के निकटतम केन्द्रीय विद्यालय में स्थानीय स्थानांतरण की अनुमति 50 की कक्षा-क्षमता के भीतर दी जा सकती है। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो अन्य निकटतम केन्द्रीय विद्यालय पर विचार किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner